उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
UTTARAKHAND SANSKRIT UNIVERSITY, HARIDWAR
बहादराबाद, हरिद्वार – दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग
BAHADARABAD, HARIDWAR-DELHI NATIONAL HIGHWAY
पो0 – बहादराबाद (हरिद्वार)– 249402
P.O. : BAHADARABAD (HARIDWAR)-249402
Website : www.usvv.ac.in

पत्रांक 1259 / प्रशासन/अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता 2025 फा.न.009 दिनांक 12 मार्च, 2025

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार से उत्तराखण्ड प्रदेश में परम्परागत एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता चाहने वाले महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं विवरण निम्नवत् है :–

1.	विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की तिथि :	17 मार्च, 2025
2.	विश्वविद्यालय वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमन्त्रित करने की अन्तिम तिथि:	03 अप्रैल, 2025
3.	हार्ड कापी को विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने की तिथि :	09 अप्रैल, 2025

नोट :– 1. अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता विश्वविद्यालय में प्रचलित परिनियमावली के अनुरूप प्रदान की जायेगी परिनियमावली विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. शुल्कों का विवरण विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

प्रतिलिपि :– **निम्नलिखित को** सूचनार्थ एवं **आवश्यक कार्यवाही** हेतु **प्रेषित।**
1. निजी सचिव, मा. कुलपति को मा. कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. वित्त नियन्त्रक।
3. उपकुलसचिव।
4. सहायक कुलसचिव (अकादमिक)।
5. विश्वविद्यालय वेबसाइट।
6. कार्यालय प्रति।

(गिरीश कुमार अवस्थी)
कुलसचिव

विश्वविद्यालय से अस्थाई सम्बद्धता/मान्यता हेतु शुल्कों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	धरोहर राशि शुल्क (एफ.डी.)	पाठ्यक्रम शुल्क
1	आचार्य/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (परम्परागत)	रू0 50,000 (रू0 पचास हजार)	रू0 5000/= (प्रति विषय)
2	शास्त्री/स्नातक	रू0 1,00000 (रू0 एक लाख)	रू0 5000/= (प्रति विषय)
3	स्नातक स्तर(योग)	रू0 2,00000 (रू0 दो लाख) (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केवल संस्कृत महाविद्यालयों हेतु)	रू0 10,000/=
4	स्नातक स्तर(योग)	रू0 10,00000 (रू0 दस लाख) (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों (परम्परागत विषयों) को छोड़कर	रू0 50,000/=
5	योगाचार्य (द्विवर्षीय)	रू0 2,00000 (रू0 दो लाख) (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केवल संस्कृत महाविद्यालयों हेतु)	रू0 10,000/= (रू0 दस हजार) (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध केवल संस्कृत महाविद्यालयों हेतु)
6	योगाचार्य (द्विवर्षीय)	रू0 15,00000 (रू0 पन्द्रह लाख) (विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालयों (परम्परागत विषयों) को छोड़कर	रू0 50,000 (रू0 पचास हजार)
7	पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय) समस्त	रू0 2,00000 (रू0 दो लाख)	रू0 10,000 (रू0 दस हजार)
8	सर्टिफिकेट (छः माह)	रू0 1,00000 (रू0 एक लाख)	रू0 10,000 (रू0 दस हजार)
9	बी.लिब्.	रू0 2,00000 (रू0 दो लाख)	रू0 10,000 (रू0 दस हजार)
10	एम.लिब्.	रू0 2,00000 (रू0 दो लाख)	रू0 10,000 (रू0 दस हजार)

1. जिन महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों की स्नातक स्तर (शास्त्री) पर एवं आचार्य (स्नातकोत्तर स्तर) पर पूर्व से सम्बद्धता/मान्यता है उन्हें स्नातक स्तर (शास्त्री)/ आचार्य (स्नातकोत्तर स्तर) पर नवीन विषय की मान्यता हेतु केवल पाठ्यक्रम शुल्क ही लिया जायेगा।
2. जिन महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों के द्वारा क्रमांक 01 एवं 02 पर नवीन मान्यता हेतु आवेदन किया जायेगा उनसे उक्त तालिका के अनुसार धरोहर राशि (एफ.डी.) एवं पाठ्यक्रम शुल्क लिया जायेगा। शेष जिन महाविद्यालयों/ कॉलेजों/संस्थानों के द्वारा नवीन सम्बद्धता/मान्यता हेतु आवेदन किया जा रहा है उनसे एफ.डी. (धरोहर राशि शुल्क) एवं पाठ्यक्रम शुल्क लिया जायेगा।
3. क्रमांक 03 से 10 तक नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों से तालिका अनुसार धरोहर राशि (एफ.डी.) एवं पाठ्यक्रम शुल्क लिया जायेगा।
4. उक्त के अतिरिक्त मान्यता हेतु आवेदन करने वाले महाविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों के द्वारा विश्वविद्यालय को प्रक्रिया शुल्क के रूप में रू. 50,000/- (रू. पचास हजार) जमा करना होगा जो वापिस नहीं की जायेगी।

AC NO. 061094600000563
IFSC YES B0000610
AC Name : Finance Controller Uttarakhand Sanskrit University, Haridwar.

उनके परीक्षाफल के आधार पर, यथास्थिति, वर्गीकरण या पुनः वर्गीकरण किया जायगा।

धारा ३७ (२) तथा ३७ (८) १२.०३ यदि सम्बद्ध महाविद्यालय सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तें पूरी न करता हो या जिसने विहित शर्तें पूरी करना छोड़ दिया हो, तो ऐसे महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता निलम्बित की जा सकेगी।

परन्तु सम्बद्धता पुनर्जीवित की जा सकती है, जबकि सम्बन्धित महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष के भीतर अपने से सम्बन्धित श्रेणी के लिए विहित शर्तों को पूरा कर ले :

परन्तु यह और कि यदि महाविद्यालय सम्बद्धता के निलम्बन की तिथि से तीन वर्ष की अवधि में विहित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो ऐसे महाविद्यालय को दी गई सम्बद्धता वापस ले ली जायगी।

●

भाग-२

नवीन महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना

धारा ३७ (२) तथा ४१ (ङ) १२.०४ किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह वर्ष के, जिससे सम्बद्धता माँगी गयी हो, पूर्ववर्ती ३१ दिसम्बर तक (१०० रूपये विलम्ब शुल्क के साथ ३१ जनवरी तक) कुलसचिव के पास पहुँच जाय[१]।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व १२.०४ इस प्रकार था—

'१२.०४ किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र के, जिसके सम्बन्ध में सम्बद्धता माँगी गयी है, प्रारम्भ होने के कम से कम छः मास पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय;

परन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति, संस्कृत शिक्षा के हित में उक्त अवधि को उस सीमा तक कम कर सकता है, जहाँ तक वह आवश्यक समझे'।

१२.०५ '(१) उत्तर मध्यमा तक किसी महाविद्यालय की स्थिति में ५०० रूपये की धनराशि का और अन्य मामलों में १००० रूपये की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो विश्वविद्यालय को देय हो; धारा ३७ (२) तथा ४१ (ङ)

(२) उप-शिक्षा निदेशक (संस्कृत) की सिफ़ारिश, जो जिला विद्यालय निरीक्षक से जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर स्थित हो, विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् की जायगी।

(३) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश और सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट, जहाँ महाविद्यालय उत्तर-प्रदेश के बाहर स्थित हो'[१]।

१२.०६ सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्योरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा, अर्थात्— धारा ३७ (२) तथा ४१ (ङ)

(क) परिनियम १२.०७ और १२.०८ के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है।

(ख) पाँच किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (ग्रामीण क्षेत्रों में) और एक किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर (नगर क्षेत्रों में) आवेदित विषय में मान्यता प्राप्त कोई अन्य सम्बद्ध संस्था नही है।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व इस प्रकार था—

'१२.०५ (१) किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ विश्वविद्यालय को देय ५०० रूपये की धनराशि का एक बैंक-ड्राफ्ट होगा, जिसे वापस नहीं किया जायगा।

(२) उत्तर-प्रदेश राज्य के भीतर किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे :—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर संस्कृत पाठशालाओं के निरीक्षक या सम्बद्ध रीजन के संस्कृत पाठशालाओं के सहायक निरीक्षक की विस्तृत रिपोर्ट और

(ख) उपशिक्षा निदेशक (संस्कृत) उत्तर-प्रदेश की सिफारिश।

(३) उत्तर-प्रदेश के बाहर सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित होंगे—

(क) समस्त सुसंगत विषयों पर सम्बद्ध सरकारी अधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट; और—

(ख) सम्बद्ध सरकार की सिफारिश'।

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने अपनी ऐसी उपयुक्त और पर्याप्त भवन की व्यवस्था की है या उसकी व्यवस्था करने के लिये उसके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों, जिसमें :—

(एक) पर्याप्त पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, सज्जा और प्रयोगशाला सुविधायें हों।

(दो) संस्था के नाम पर पर्याप्त भूमि हो।

(तीन) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधाएँ हों।

(घ) निम्नलिखित दर के अनुसार आरक्षित निधि और पूर्त निधि है, जो सम्बद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक के पास गिरवी रखा जायगा :—

संस्था की श्रेणी	पूर्त निधि	आरक्षित निधि
१. स्नातकोत्तर	२५,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	३,००० रूपया नकद
२. स्नातक	२०,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	२,००० रूपया नकद
३. उत्तर मध्यमा	१५,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	१,००० रूपया नकद
४. पूर्व मध्यमा	१०,००० रूपया (नकद या सम्पत्ति)	८०० रूपया नकद।

टिप्पणी : शर्त (घ) राज्य सरकार द्वारा अनन्य रूप से अनुरक्षित महाविद्यालय के मामले में लागू नहीं होगी[१]।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३-(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं प्रस्थापित। संशोधन के पूर्व १२.०६ इस प्रकार था—

'**१२.०६** सम्बद्धता चाहने वाला प्रत्येक महाविद्यालय निम्नलिखित ब्यौरों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का समाधान करेगा, अर्थात्—

(क) परिनियम १२.०७ और १२.०८ के उपबन्धों का अनुपालन किया गया है;

१२.०७ सरकार या किसी स्थानीय निकाय या प्राधिकारी द्वारा अनन्य रूप में प्रबन्धित महाविद्यालय से भिन्न प्रत्येक महाविद्यालय के संविधान में यह व्यवस्था होगी कि— धारा ३७ (२) तथा ४१ (३)

(क) महाविद्यालय का प्राचार्य प्रबन्धतन्त्र का पदेन सदस्य होगा;

(ख) प्रबन्धतन्त्र के पच्चीस प्रतिशत सदस्य अध्यापक हैं (जिसमें प्राचार्य भी सम्मिलित हैं);

(ग) (१) अध्यापक खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्राचार्य को छोड़कर ज्येष्ठताक्रम में, चक्रानुक्रम से, एक वर्ष की अवधि के लिए ऐसे सदस्य हैं;

(ग)-(२) प्रबन्धतन्त्र का एक सदस्य महाविद्यालय के तृतीय वर्ग के शिक्षणेतर कर्मचारियों में से होगा, जिसका चयन चक्रानुक्रम से ज्येष्ठताक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा[१];

(घ) खण्ड (ग) के उपबन्धों के अधीन प्रबन्धतन्त्र के कोई दो सदस्य धारा २० के स्पष्टीकरण के अन्तर्गत एक-दूसरे के नातेदार न होंगे;

(ख) संस्था उस क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा की माँग पूरी करती है;

(ग) सम्बद्ध प्रबन्धतन्त्र ने—

(i) उपयुक्त और पर्याप्त भवन;

(ii) पुस्तकालय, फर्नीचर, लेखन-सामग्री, उपस्कर और प्रयोगशाला को पर्याप्त सुविधा।

(iii) पर्याप्त भूमि।

(iv) छात्रों के स्वास्थ्य और मनोरंजन के लिये सुविधा।

(v) कम से कम तीन वर्ष के लिये महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते के भुगतान की व्यवस्था की है या उसके पास उपर्युक्त की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त संसाधन हैं'।

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५६७५/१५-१०-८०-१३ (१०)-७९ दिनाङ्क २ दिसम्बर, १९८० द्वारा प्रतिस्थापित तथा उक्त दिनाङ्क से प्रवृत्त।

(ङ) उक्त संविधान में कुलपति की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा;

(च) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि प्रबन्धतन्त्र के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में कोई व्यक्ति सम्यक् रूप से चुना गया है या नहीं अथवा उसका सदस्य या पदाधिकारी होने का हकदार है या नहीं या प्रबन्धतन्त्र वैध रूप से गठित है या नहीं, तो कुलपति का विनिश्चय अन्तिम होगा,

(छ) महाविद्यालय कुलपति द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष या विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त निरीक्षक पैनल के समक्ष महाविद्यालय की आय और व्यय से सम्बन्धित सभी मूल दस्तावेज को ऐसी सोसायटी/न्यास/बोर्ड मूल निकाय के लेखे सहित जो महाविद्यालय को चला रही हो, रखने को तैयार है।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ड) १२.०८ कोई महाविद्यालय जो किसी ऐसे पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहता हो, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, विश्वविद्यालय का निम्नलिखित के सम्बन्ध में अग्रतर समाधान करेगा :—

(क) प्रत्येक शाखा के लिए पृथक् प्रयोगशालाओं की व्यवस्था है और उनमें से प्रत्येक उपयुक्त रूप से सुसज्जित है; और

(ख) प्रयोगात्मक कार्य करने के लिए पर्याप्त तथा उपयुक्त साधित्र और उपस्कर की व्यवस्था है।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ड) १२.०९ (१) किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य या व्यावसायिक प्रशिक्षण अपेक्षित हो, सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा में यदि कुलपति का पूर्ववर्ती परिनियमों में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में समाधान हो जाय तो, आवेदन-पत्र कार्य-परिषद् के समक्ष रखा जायगा, जो महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक पैनल नियुक्त करेगी। निरीक्षक पैनल का व्यय सम्बद्धता चाहने वाली संस्था द्वारा वहन किया जायगा।

(२) खण्ड (१) में उल्लिखित पाठ्यक्रम से भिन्न किसी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की दशा में कुलपति

महाविद्यालय का निरीक्षण करने और सभी सुसंगत विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए या तो निरीक्षक पैनल नियुक्त कर सकता है या, यदि पूर्ववर्ती परिनियमों में उल्लिखित विषयों के सम्बन्ध में उसका समाधान हो जाय तो, परिनियम १२.०५ की अपेक्षानुसार आवेदन-पत्र के साथ की रिपोर्ट को स्वीकार कर सकता है और आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखेगा :

परन्तु कार्य-परिषद् के समक्ष सम्बद्धता के लिये आवेदन-पत्र रखे जाने के पूर्व विश्वविद्यालय को महाविद्यालय का निरीक्षण या पुनः निरीक्षण की छूट होगी।

१२.१० साधारणतया सभी निरीक्षण सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनाङ्क से चार मास के भीतर पूरे कर दिये जायेंगे। कार्य-परिषद् द्वारा सम्बद्धता के लिए कोई आवेदन-पत्र तब तक स्वीकृत नहीं किया जायगा, जब तक कि सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वित्तीय सुस्थिति और उपलब्ध संसाधनों के सम्बन्ध में उसका समाधान न हो जाय। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ड)

१२.११ '(१) सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व, उसका परीक्षण सम्बद्धता समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— धारा ३७ (२) तथा ४९ (ड)

(क) कुलपति	अध्यक्ष
(ख) कार्य-परिषद् का एक नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति	सदस्य
(ग) शिक्षा निदेशक, उत्तर-प्रदेश या उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो संयुक्त शिक्षा निदेशक के पद से कम का न होगा।	सदस्य
(घ) निदेशक (उच्चतर शिक्षा), उत्तर-प्रदेश या उसका नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, जो किसी राजकीय डिग्री कॉलेज के प्राचार्य के पद से कम का न होगा।	सदस्य
(ङ) कुल-सचिव	सदस्य-सचिव

(२) सम्बद्धता के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय साधारणतया उस वर्ष के, जिसमें कक्षा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, १५ मई के पूर्व किया जायगा'[१]।

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ) १२.१२ जहाँ किसी महाविद्यालय को कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए सम्बद्धता दी जाय, वहाँ महाविद्यालय तब तक छात्रों को भर्ती या रजिष्टर नहीं करेगा, जब तक कि कुलपति ने सम्यक् रूप से निरीक्षण के पश्चात् प्रमाण-पत्र जारी न कर दिया हो कि विश्वविद्यालय द्वारा आरोपित शर्तें सम्यक् रूप से पूरी कर ली गयी हैं। यदि महाविद्यालय का स्वयं निरीक्षण करने में कुलपति के समक्ष व्यावहारिक कठिनाइयाँ हों, तो वह महाविद्यालय का निरीक्षण करने के लिए किसी अर्ह व्यक्ति अथवा किन्हीं अर्ह व्यक्तियों को नाम-निर्दिष्ट कर सकता है।

●

भाग-३

नई उपाधियों अथवा अतिरिक्त विषयों के लिए महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करना

धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ) १२.१३ किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा नई उपाधि के लिए अथवा नये विषयों में शिक्षण का पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र इस प्रकार दिया जायगा कि वह उस सत्र की, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, ३१ जुलाई के पूर्व कुलसचिव के पास पहुँच जाय :

परन्तु किसी ऐसे पाठ्यक्रम में, जिसमें प्रयोगशाला-कार्य अपेक्षित हो, या शिक्षाशास्त्र में सम्बद्धता के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र परिनियम १२.०४ के अनुसार दिया जायगा और परिनियम १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे।

---

१. उत्तर-प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या-५३८५/१५-१०-८५-१३(५)-८२ दिनाङ्क ३१ अक्टूबर, १९८५ द्वारा संशोधित एवं उक्त तिथि से प्रवृत्त। संशोधन के पूर्व १२.११ इस प्रकार था—

'**१२.११** सम्बद्धता के लिये किसी आवेदन-पत्र को कार्य-परिषद् के समक्ष रखे जाने के पूर्व उसका परीक्षण कार्य-परिषद् द्वारा नियुक्त सात सदस्यों की समिति द्वारा किया जायगा, जिसमें निरीक्षक संस्कृत पाठशाला, उत्तर-प्रदेश पदेन सदस्य और कुलसचिव पदेन सदस्य और सचिव होंगे। किसी आवेदन-पत्र को स्वीका या अस्वीकार करने की प्रक्रिया साधारणतया उस वर्ष की, जिसमें कक्षायें प्रारम्भ करने का प्रस्ताव हो, १५ मई तक पूरी कर ली जायगी'।

१२.१४ प्रत्येक महाविद्यालय, जो किसी नई उपाधि के लिए या नये विषय में सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र दे, अपने आवेदन-पत्र के साथ प्रत्येक विषय के लिए ५० रूपया तथा अधिक से अधिक २५० रूपये (दो सौ पचास रूपये) की धनराशि भेजेगा, जो वापस नहीं की जायगी। परिनियम १२.०५ (२) और १२.०५ (३) के उपबन्ध भी लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१५ किसी नये विषय में सम्बद्धता के लिए किसी आवेदन-पत्र पर तब तक विचार नहीं किया जायगा, जब तक कि कुलसचिव लिखित रूप में यह प्रमाणपत्र न दे दें कि सम्बद्धता और/या पूर्व सम्बद्धता की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१६ यदि कुलपति का ऐसी सम्बद्धता दिये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में समाधान हो जाय और यदि महाविद्यालय ने पिछली सम्बद्धता की समस्त शर्तों को पूरा कर दिया हो और बराबर पूरा कर रहा हो तो आवेदन-पत्र सम्बद्धता समिति की सिफारिश से कार्य-परिषद् के समक्ष रखा जायगा। परिनियम १२.०९ के उपबन्ध भी लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१७ साधारणतया सभी निरीक्षण १५ सितम्बर तक पूरे कर लिए जायेंगे, जिससे कि विश्वविद्यालय की कार्य-परिषद् निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा समय से कर सके। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

१२.१८ नई उपाधियाँ अथवा अतिरिक्त विषयों की सम्बद्धता के लिए आवेदन-पत्र देने वाले किसी सम्बद्ध महाविद्यालय पर परिनियम १२.१२ द्वारा आरोपित निर्बन्धन लागू होंगे। धारा ३७ (२) तथा ४९ (ङ)

●